

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:- एफ 5(2)(110) लेखा/ऑडिट कमेटी/आईसीडीएस/2016/23933 जयपुर, दिनांक 6-2-19


परिपत्र

विषय:- महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(34) वित्त/अंकेक्षण/91 दिनांक 17.02.2016 के क्रम में एवं दिनांक 13.11.18 को हुई ऑडिट कमेटी की बैठक में प्रमुख शासन सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में विभाग के अधीनस्थ कार्यालय एवं परियोजनाएं महालेखाकार के अंकेक्षण दलों को अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख/सूचनाएं समय पर उपलब्ध करावें।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

भवदीया



निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ 5(2)(110) लेखा/ऑडिट कमेटी/आईसीडीएस/2016²³⁹³⁴ जयपुर, दिनांक:-6-2-19
²⁴²⁹⁰

1. प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, मबावि सचिवालय जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।

4. उप निदेशक (बाल विकास) बाल विकास परियोजना अधिकारी मबावि (समस्त)।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ लेखाधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर